04-7-22 पत्रावली आज प्रार्थी की प्रार्थना पर पेशी में ली गई।
प्रार्थना पत्र बाबत शीघ्र सुनवाई हेतु पेश किया गया
जिसकी नकल प्रति वकील प्रार्थी को दिखाई गई। वकील
अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC व जवाब
अप्रार्थी स० 1 पेश किया गया, जिसे शामिल
पत्रावली किया। पत्रावली की नियत तिथि दिनांक
21/7/22 थी, जिस पर वकील प्रार्थी को आपत्ति
होने पर पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक
08/7/22 को पेश हो। [signature]

08/7/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित। वकील
अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन
किया कि प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण कृषि भूमि के हिस्से
पर स्थगन आदेश जारी करवा लिया गया है, जबकि
प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नहीं है, इस
प्रकार कोई भी प्रार्थी, राजस्व रिकार्ड मे दर्ज सहखाते
दारों के के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा
पाने का अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी स० 1 द्वारा अपने
हक हिस्से को आबाद बनाने के लिए डिग्गी निर्माण
का कार्य बहुत पहले किया गया, अतः इस प्रकार स्थगन
आदेश से अप्रार्थी स० 1 को निहंग-तंग परेशान किया
जा रहा है। इस हेतु वकील अप्रार्थी द्वारा नजीर भी
पेश की गई है। वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में
कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्से
की घोषणा के साथ खाता-तकसीम चाहा गया है,
प्रार्थी का खाता अलग किये बिना अप्रार्थी स० 1
द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो विधि
विरुद्ध है। इस प्रकार जब तक प्रार्थी का खाता
अलग से कायम नहीं किया जावें तक अप्रार्थीगण
को पाबन्द किया जावें कि वे अपने काश्त के हिस्से
पर किसी प्रकार का निर्माण अथवा किस्म परिवर्तन ना
करें। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस
पर मनन किया गया। पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात
का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वकील अप्रार्थी
द्वारा प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC पेश किया गया था।
चूंकि प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 RTAct का है जिस
मे संबधित वाद न्यायालय हाजा में जेरकार है, अतः प्रार्थना
पत्र 07 R11 CPC की सुनवाई वाद में की जानी न्यायोचित

है। पत्रावली में अंकित पक्षकार अप्रार्थी सं0 1 के विरुद्ध प्रार्थी ने मुख्य रूप से स्थगन आदेश चाहा है। जिसका जवाब प्रार्थना पत्र वकील अप्रार्थी द्वारा पेश किया चुका है। पत्रावली से संबंधित वाद अन्तर्गत धारा 88-188-53 RTAct का है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 RTAct में प्रार्थी अपने पिता की पैतृक सम्पत्ति में अपने हकों की घोषणा करवा-पाने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार वकील अप्रार्थी का यह कथन कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं है बावजूद इसके अप्रार्थी ने स्थगन आदेश अपने पक्ष में करवा लिया, न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। किसी भी स्थगन आदेश के संबंध में न्यायालय को तीन बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति पर विचार करना होता है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने अपने हक-हिस्सों की घोषणा के साथ अपना खाता व लगान अलग चाहा है, इसी दौरान अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य करने पर, प्रार्थी ने स्थगन आदेश जारी करवाया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया साबित है। बिना खाता विभाजन करवाये अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि के हिस्से पर निर्माण कार्य किया जाता है, तो प्रार्थी अपने हक-हिस्सों अर्थात् By Meets and Bounds से वंचित रहेगा, इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। प्रार्थना पत्र 212 RTAct से संबंधित वाद की सुनवाई न्यायालय हाजा में जेरकार है, जिसमें अपने हकों की घोषणा व पक्षकारान का खाता-लगान अलग से कायम किया जाना है।

उपरोक्त विवेचनानुसार तीनों बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में कामयाब है, जबकि अप्रार्थी के विरुद्ध साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य —

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज
	होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को हिदायतवार इस आशय के साथ पाबन्द किया जाता है कि जब तक पत्रकारान का खाता व लगान अलग से कायम नहीं होते है. तब तक वादग्रस्त रकबा रोही चक 5 SDR के खाता नं० 111/91 के मु०न० 48, 49, 50, 55, 56, 57, की कुल 12.337 हे० भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य ना करें। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर मे कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)